

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16042022-235167
SG-DL-E-16042022-235167असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 20
No. 237]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944	[N. C. T. D. No. 20

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-1 (पुलिस)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अप्रैल, 2022

सं.फा.16/7/2020/गृह पुलिस-1/स्थापना/177 से 183.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली पुलिस नियमावली (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:-

- (i) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. संशोधन:-

उक्त नियमों में नियम 17-ख (गअपपप) दिल्ली पुलिस में संचार इकाई के स्टोर क्लर्क (प्रधान सिपाही) के पद से संबंधित है।

(1) कॉलम संख्या 2 में पदों की संख्या से संबंधित प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

34'(2021)

परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर

(2) कॉलम संख्या 4 में वेतनमान से संबंधित प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.....स्तर-4 (25,500-81100 रुपये)

3. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताओं संबंधी कॉलम में प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान अथवा समकक्ष विषय में 102 (वरिष्ठ माध्यमिक/माध्यमिक) उत्तीर्ण।

(ख) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन से इनडेंटिंग, लेखांकन, बिलों तथा महत्वपूर्ण विवरणियों के भुगतान इत्यादि सहित रेडियो स्टोर कार्य प्रक्रिया के क्षेत्र में कम से कम 2 (दो) वर्षों का व्यवहारिक अनुभव तथा रेडियों/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का पूर्ण ज्ञान रखता हो।

(ग) उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा तथा किसी भी बीमारी, दोष या विकृति से मुक्त होना चाहिए।

(घ) **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए:-** स्वास्थ्य अच्छा हो। बिना चश्मे के अच्छी दृष्टि 6/6, कमजोर दृष्टि (खराब आँखें) 6/36 चश्मे के साथ सही दृष्टि 6/9 या बिना चश्मे 6/12 (दोनों आँखों की)। उम्मीदवार रंग-अंधता से मुक्त होने चाहिए। लोकोमोटर दिव्यांगता 40 प्रतिशत तथा इससे उपर (या तो एक पैर या दोनो पैर प्रभावित) को अनुमति दी जाएगी”

(ड.) **लम्बाई**

पुरुष उम्मीदवार :- 165 सें.मी.। पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से.मी. शिथिलनीय है।

महिला उम्मीदवार: 157 से.मी. पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से.मी. शिथिलनीय है।

छाती

पुरुष उम्मीदवार:- 81-85 से.मी पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से.मी. शिथिलनीय है।

महिला उम्मीदवार:- लागू नहीं

(च) सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को डीसीपी/संचार द्वारा आयोजित 06 (छह) माह का तकनीकी प्रशिक्षण लेना होगा तथा साथ ही पीटीसी, झरोदा कलां, नई दिल्ली द्वारा बेसिक पुलिस प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

4. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी संरचना क्या है संबंधी कॉलम में प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

‘विभागीय स्थायीकरण समिति’ (स्थायीकरण पर विचारार्थ)में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(i) एक पुलिस उपायुक्त (अध्यक्ष)

(ii) दो पुलिस सहायक आयुक्त (सदस्य)

(संबंधित जिलों/इकाईयों से)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पवन कुमार, उप-सचिव (गृह-1)

टिप्पणी:— दिनांक 31.07.1986 की अधिसूचना सं. फा.5/46/84—गृह (पुलिस)/स्था. के द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली 1980 के प्रमुख नियम प्रकाशित हुए तथा आगे (i) दिनांक 15.07.2010 की अधिसूचना सं.फा. 13/13/2000/गृह.पु.-1/स्था./1590 एवं (ii) दिनांक 22.10.2018 की अधिसूचना सं.फा. 16/01/2018/गृह.पु.-1/स्था./5475 से 5477 के द्वारा संशोधित किया गया।

HOME-1 (POLICE)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th April, 2022

F.No. 16/7/2020/HP-1/Estt./177 to 183.—In exercise of the powers conferred by sub-sections-(1) and (2) of section 147 of Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:-

1. Short title and commencement:-

- (1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendments:-

In the said Rules, in Rule 17-B (xviii), relating to the post of **Store Clerk (Head Constable)** in Communication Unit of Delhi Police.

- (1) For the entry in the column at serial number 2, relating to the “Number of Posts”, the following entry shall be substituted, namely :-

34* (2021)

Subject to variation dependent on workload.

- (2) For the entry in the column at serial number 4, relating to the “Scale of Pay”, the following entry shall be substituted, namely:-

‘Pay Level in the Pay Matrix’ --- Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-)

3. For the entry against the column relating to the “Educational and other qualifications required for direct recruits”, the following entry shall be substituted, namely:-

- (a) Passed 10+2 (Senior Secondary/Intermediate) pass from recognized Board with Science or equivalent.
- (b) Minimum 2 (Two) years practical experience from Public Sector Under taking/reputed commercial organizations in the field of radio stores work procedure including indenting, accounting, payment of bills and important returns etc. and thorough knowledge of radio/electrical/electronic spare parts.
- (c) The candidate should be of sound health, free from any disease, defect or deformity.
- (d) “For persons with disabilities:- Sound state of health. Better eye 6/6 without glasses, worse eye 6/36 corrected with glasses 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). The candidate should be free from colour blindness. Locomotor disability 40% and above (Either one or both leg affected) shall be allowed”.

(e) **Height:-**

Male candidates: 165 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies .

Female candidates: 157 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies.

Chest :

Male candidate : 81-85 cms. Relaxable by 5 cms. For candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies.

Female Candidates : Not applicable.

- (f) The candidates selected through direct recruitment shall have to undergo 06 (six) months technical training to be conducted by DCP/Communication and basic Police Training side by side to be conducted by PTC, Jharoda Kalan, New Delhi.
4. For the entry against the column relating to the “If a DPC exists, what is its composition”, the following entry shall be substituted, namely:-
- ‘Departmental Confirmation Committee’ (for considering confirmation) consisting of:-
- (i) One Deputy Commissioner of Police (Chairman)
 - (ii) Two Assistant Commissioners of Police (Members)
- (from the districts/units concerned).

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (Home-1)

Note: The Principal Rule of Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 vide Notification No F.5/46/84-Home(P)/Estt. dated 31.07.1986 and further amended vide (i) Notification No. F.13/13/2000/HP-1/Estt./1590 dated 15.07.2010 and (ii) Notification No. F.16/01/2018/HP-1/Estt./5475-5477 dated 22.10.2018.